सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 319/17 निर्णय दिनांकः

1. विशालसिंह पुत्र जोधसिंह जाति राजपूत निवासी गोकुल तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 29—08—2009
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील कोलायत के निर्णय दिनांक 29—08—2017 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन निरस्त किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 2 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 112/1 को विशेष आवंटन में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत कर दिये गये थे। अपीलांट को उक्त रकबा आवंटन कर दिया गया। किन्तु उक्त रकबे को 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29—07—2017 को प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट उक्त आवंटित रकबे की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाना चाहता है। अतः आवंटन हेतु निर्धारित 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने के आदेश प्रदान करते हुए आवंटन आदेश जारी किया जावे।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को इस आश्य के साथ खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को चक 2 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 112/1 की 25 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 25—03—2008 को किया गया था किन्तु प्रार्थी द्वारा 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई। आवंटन नियम 13—ए के अनुसार जिस आवंटन को छः माह से अधिक का समय हो गया हो ऐसे आवंटन स्वतः ही निरस्त है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन वर्ष 2008 में किया गया था। आवंटन नियमों के तहत छः माह की अवधि में आवंटन की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई जानी अपरिहार्य है। अपीलांट द्वारा निर्धारि अवधि में 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है। तो विधि सम्मत है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 2 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 112/1 में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन दिनांक 25—03—2008 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 29—08—2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन हेतु निर्धारित 20 प्रतिशत राशि जमा करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

(2) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र व आवंटन आदेश इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी को चक 2 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 112/1 की 25 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 25—03—2008 को किया गया था। प्रार्थी द्वारा तत्समय 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई। आवंटन नियम 13—ए के अनुसार आवंटन अवधि के छः माह के भीतर 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई जानी अपरिहार्य है। चूंकि उक्त आवंटन को छः माह से अधिक का समय हो गया हो ऐसे आवंटन स्वतः ही निरस्त है।

(3) चूंकि अपीलांट निर्धारित अवधि छः माह के भीतर न तो आवंटन अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। आवंटन नियमों 13—ए के तहत छः माह की अवधि के उपरान्त ऐसे आवंटन स्वतः ही निरस्त है। ऐसी

स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवंटन सही खारिज किया है, जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 29—08—2017 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर